संख्या-19/2016/537 /35-3-2016-1(34)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च ,2016**

विषय: वर्ष 2015-16 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सी.सी रोड्र /के. सी. ड्रेन कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बहराइच में शासनादेश संख्या-29 /2015/1231/35-3-2015-1(34)/2015 दिनांक: 21 सितम्बर, 2015 के द्वारा सी.सी रोड्र /के. सी. ड्रेन की परियोजना हेतु रू. 83.65 लाख की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप मे रू. 50.19 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतदद्वारा निम्नलिखित कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 33.46 लाख (रू.तैतीस लाख छियालीस हजार मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू.)

विकास खण्ड का नाम	क्र. स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
कार्यदायी संस्था - लोक निर्माण विभाग					
नबाबगंज	1	ग्राम निधिपुरवा – नई बस्ती की 08 आन्तरिक गलियों मे सीड्रेन .सी .के/ सी रोड्र. ।	83.65	50.19	33.46

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 21 सितम्बर, 2015 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यो हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवण्टन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी ।

5- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष201 51-6 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 40-आयोजनागतबार्डर -06-य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यअन्य-4575--09-य व्यअन्य-800- कार्यक्रमएरिया डेवलपमेन्टसी ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त .सी .रोड एवं के.सी. वृहत निर्माण कार्य के नामें-24-वस्थाव्य डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2015 बी-1 -925 / दस-2015 - 231 / 2015 दिनांक:30 मार्च,2015 मे प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्र्तगत के जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-19/2016/537(1)/ 35-3-2016-1(34)/2015 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद ।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, बहराइच।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ लोक निर्माण अनुभाग-9 ।

10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।

11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच ।

12- राज्य योजना आयोग-।

13 - गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

http://shasanades .up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।